

छुट्टी के लिए आवेदन का फॉर्म

टिप्पणी—मद 1 से 11 राजपत्रित तथा अराजपत्रित सभी आवेदकों द्वारा भरी जाना चाहिए। मद 12 केवल तभी भरी जानी चाहिए जब वह संबंधित शासकीय कर्मचारी पर लागू होती हों।

1. आवेदक का नाम
2. लागू होने वाले छुट्टी नियम
3. धारित पद
4. विभाग, कार्यालय और अनुभाग
5. वेतन
6. वर्तमान पद पर प्राप्त किया जानेवाला गृह-भाड़ा भत्ता व भत्ता या अन्य प्राप्त पूरक भत्ते।
7. आवेदित छुट्टी का स्वरूप तथा उसकी अवधि और वह तारीखें जब से छुट्टी चाही गई है।
8. छुट्टी के आरम्भ में / अन्त में जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित रविवार तथा अवकाश, यदि कोई हों।
9. वह कारण जिसके आधार पर छुट्टी के लिए आवेदन किया गया है।
10. पिछली छुट्टी से लौटने की तारीख और उस छुट्टी का स्वरूप तथा अवधि।
11. छुट्टी की अवधि का पता, मंजूर की जाने पर।
12. मैं आगामी छुट्टी के दौरान वर्ष समूह (ब्लॉक इयर्स)/ के लिए यात्रा रियायत का लाभ उठाना चाहता हूँ/नहीं उठाना चाहता हूँ।
13. (क) मैं वचन देता हूँ कि मैं औसत वेतन छुट्टी परिणत (कम्यूटेड) छुट्टी के दौरान, प्राप्त छुट्टी वेतन और अर्ध औसत वेतन छुट्टी/ अर्ध-वेतन छुट्टी के दौरान अनुज्ञेय छुट्टी वेतन के बीच के अन्तर की ऐसी राशि वापस कर दूंगा जो उस स्थिति में अनुज्ञेय नहीं होती, यदि मूल नियम 81 (ख) (दो) का परन्तुक म. भा. पू. नियम 79 (ग)/पुनरीक्षित छुट्टी नियम 1933 का नियम 11 (ग) मध्यप्रदेश पुनरीक्षित छुट्टी नियम, 1934 का नियम 14 (ग)/राजस्थान सेवा नियम का नियम 93 (ग) छुट्टी के अन्त में या छुट्टी चालू रहने के दौरान में सेवानिवृत्त हो जाने की स्थिति में लागू न किया जाता।
- (ख) मैं वचन देता हूँ कि मैं अदेय (लीव नॉट-ड्यू) के दौरान प्राप्त वह छुट्टी वेतन वापस कर दूंगा जो उस स्थिति में अनुज्ञेय नहीं होता, यदि मूल नियम, 81 (ग)/पुनरीक्षित छुट्टी नियम, 1933 का नियम, 11 (ग)/मध्यप्रदेश पुनरीक्षित छुट्टी नियम, 1934 का नियम 15/म. भा. नि. का नियम 79 (क)/राजस्थान सेवा नियम 93 (घ)/छुट्टी के अन्त में या छुट्टी चालू रखने के दौरान मेरे स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो जाने की स्थिति में लागू न किया जाता।

आवेदक के हस्ताक्षर
(तारीख सहित)

(कृ.पू.उ.)